भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1490
गुरुवार, 13 फ़रवरी, 2025/24 माघ, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानपत्तनों पर यात्री संख्या संबंधी दर

1490. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विमानपत्तनों पर यात्री संख्या की राज्यवार दर कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल की तुलना में तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली जैसे विमानपत्तनों पर यात्री संख्या संबंधी दर और तमिलनाडु के प्रमुख शहरों का हवाई संपर्क कम है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश भर में प्रचालनरत हवाईअड्डों पर हैंडल किए गए यातायात के ब्यौरे के साथ दिनांक 31.12.2024 तक यात्री हैंडलिंग टर्मिनल क्षमता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक में उपलब्ध है।

(ख) और (ग): तमिलनाडु में कोयंबटूर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली हवाईअड्डों की क्षमता उपयोग क्रमशः 80.02%, 44.34% और 39.64% है। इसकी तुलना में केरल में कन्नूर, कोच्चि, कोझिकोड और तिरुवनंतपुरम हवाईअड्डों की क्षमता उपयोग क्रमशः 13.09%, 41.46%, 50.31% और 97.90% है।

मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरसन के साथ ही भारतीय घरेलू विमानन को पूर्ण रूप से विनियमन मुक्त कर दिया गया है। एयरलाइनें बाज़ार और मार्ग चुनने, किसी भी प्रकार के विमान को शामिल करने और सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों (आरडीजी) के अनुपालन के तहत परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, किसी भी हवाईअड्डे से/के लिए हवाई सेवाएँ शुरू करने का निर्णय एयरलाइन प्रचालक की परिचालन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर निर्भर करता है।

एयरलाइनों के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन भारत और संबंधित देश के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते (एएसए) द्वारा शासित होते हैं। एएसए के अनुसार, भारतीय नामित वाहक पारस्परिक रूप से सहमत क्षमता सीमाओं के अनुसार किसी भी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से/के लिए विदेशी गंतव्यों तक परिचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि कोई भी नामित विदेशी एयरलाइन भारत में किसी बिंदु से/के लिए परिचालन कर सकती है, यदि उसे एएसए में कॉल पॉइंट के रूप में नामित किया गया हो। भारत में किसी भी बिंदु से सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत पूर्ण रूप से यात्री माँग, स्लॉट की उपलब्धता, मार्ग की आर्थिक व्यवहार्यता और अन्य संबंधित कारकों के आधार पर अनुसूचित एयरलाइनों का एक वाणिज्यिक निर्णय होता है।

लोक सभा के दिनांक 13.02.2025 के लिखित प्रश्न संख्या 1490 के उत्तर में संदर्भित विवरण का अनुलग्नक

उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिनांक 31.12.2024 को प्रचालनरत हवाईअड्डों पर राज्यवार कुल यात्री हैंडलिंग क्षमता मिलियन यात्री प्रति वर्ष (एमपीपीए) और वर्ष 2023-24 के दौरान कुल यात्री हैंडलिंग क्षमता (एमपीपीए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**31.12.2024 तक कुल क्षमता (एमपीपीए)।**	**2023-24 के दौरान कुल यात्री (एमपीपीए)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	4.00	1.45
2	आंध्र प्रदेश	10.17	5.25
3	अरुणाचल प्रदेश	1.31	0.17
4	असम	4.95	7.39
5	बिहार	3.45	4.29
6	चंडीगढ़	6.00	3.72
7	छत्तीसगढ	3.75	2.52
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.11	0.07
9	दिल्ली	100.02	73.67
10	गोवा	19.00	11.28
11	गुजरात		

		27.90	15.70
12	हरियाणा	-	0.00
13	हिमाचल प्रदेश	0.51	0.24
14	जम्मू और कश्मीर	7.20	5.66
15	झारखंड	3.70	2.75
16	कर्नाटक	56.81	40.53
17	केरल	45.10	19.27
18	लद्दाख	0.48	1.07
19	लक्षद्वीप	0.05	0.05
20	मध्य प्रदेश	11.25	5.50
21	महाराष्ट्र	74.72	67.07
22	मणिपुर	1.39	1.27
23	मेघालय	0.50	0.15
24	मिजोरम	1.20	0.40
25	नगालैंड	0.50	0.32
26	ओडिशा	5.02	4.87

27	पुदुचेरी	0.20	0.05
28	पंजाब	4.92	3.10
29	राजस्थान	9.50	8.24
30	सिक्किम	0.40	0.01
31	तमिलनाडु	41.35	27.40
32	तेलंगाना	34.00	25.05
33	त्रिपुरा	3.00	1.47
34	उत्तर प्रदेश	17.44	11.30
35	उत्तराखंड	4.86	1.71
36	पश्चिम बंगाल	29.81	23.42
	कुल	**534.57**	**376.42**

*****